JALAUN POLICE

दिनांक – 13.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्त राशिद पुत्र इब्राहिम नि0 ग्राम चतेला थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादी के भाई की हत्या करने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कदौरा में दिनांक 06.04.2021 को मु0अ0सं0 57/2021 (वाद संख्या 144/21) धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 07.04.2021 को अभियुक्त राशिद उपरोक्त को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 22.05.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 13.06.2025 को मान0 न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राशिद उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।